मानवाधिकार, भारतीय संविधान एवं महिलाएं

डॉ0 पीयूष कुमार पान्डेय

मानवधिकार उन विभिन्न सुविधाओं से का समुह है, जो किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक होता है। इन अधिकारों के आभाव मे न तो जीवन बेहतर तरीके से व्यतीत कर सकता है और न तो एक नागरिक के रूप में समाज एवं राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर पाएगा। मानवाधिकार एक नयी अवधारणा है। और यह वर्तमान युग की देन है ये दो मूल सिद्धांतो पर आधारित है। पहला संसार के प्रत्येक व्यक्ति जीने का अधिकार है दुसरा उसे गरिमा के साथ जीवन–जीने का अधिकार है।

वैसे तो मानव के द्वारा मानवों के शोषण के विरूद्ध बराबर आवाज उठायी गयी लेकिन लाभ कुछ भी नही हुआ। फ्रांस की 1789 की क्रांति के फलस्वरूप पहली बार वहां पर मानवों के लिए स्वतंत्रता और समानता की घोषणा की गयी इसे हम मानवाधिकार का प्रारंभ मानते है। फ्रांस के बाद अन्य देशों मे भी शोषितो के विरूद्ध आन्दोलन शुरू किया गया। जैसे रूस की 1917 की क्रांति ने जार राजाओं का शासन समाप्त कर साम्यवादी राज्य की स्थापना की। परन्तु शोषण समाप्त नही हुआ। अधिक शक्तिशाली मानव कम शक्तिशाली मानवों का शोषण करता रहा। द्वितीय विश्वयुद्ध 1939 सम्भवतः शक्ति प्रदर्शन के परिणाम स्वरूप ही हुआ था। इस युद्ध मे हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बमों के प्रयोग ने तो मानव को कलंकित ही कर दिया। जिसके परिणाम स्वरूप विश्व शांति आवश्यकता अनुभव होने लगी। इसी आवश्यकता ने मानवाधिकार को जन्म दिया। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के उपरान्त 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किया गया इस संगठन ने अमेरिका के सैन फ्रांसिसको नगर मे 1945 मे मानवाधिकार आयोग की स्थापना की। इस आयोग ने 10 दिसम्बर 1948 को मानवाधिकार की घोषणा पत्र को संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा मे प्रस्तुत किया। 10 दिसम्बर को ऐतिहासिक महत्व देते हुए इस तिथि को मानवाधिकार दिवस के रूप में मान्यता प्रदान की गयी। यह एक प्रमाणित तथ्य है कि विश्व मे सबसे अधिकार अपराध अन्याय और हिंसा महिलाओं के साथ ही हुआ है। महिलाएँ अपराध की दृष्टि से बेहद आसान लक्ष्य रही है।

विश्व स्तर पर लोकतांत्रिक व्यवस्था जैसे जैसे सुदृढ़ होती गयी महिलाओं को पुरूषो के समकक्ष लाने की मुहिम मे भी तेजी आती गयी। विधि व न्याय के समक्ष समानता लोक सेवाओं मे समान अवसर निवास रोजगार आदि की स्वतंत्रता पारिवारिक सम्पत्ति में हिस्सेदारी, निर्णयन के प्रत्येक स्तर पर समानता खान पान रहन सहन शिक्षा, आदि के मामलों में महिलाओं को न केवल पुरूषों के बराबर लाने का विधिक प्रयास किया गया, बल्कि जहां कही विशेष विधिक प्रावधान किये गये।